कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।

जी0बी0पन्त चिकित्सालय परिसर, तल्लीताल, नैनीताल।

ई0मेल nainitalcmo1@gmail.com

पत्र संख्या- उ0नै0स्था0/2023-24/ 6824 दिनांक 05.11.2023 06

डा0यतीन्द्र मोहन बहुगुडा(7060124300)

जगदम्बा नगर ,हल्द्वानी जिला नैनीताल।

विषय- नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 एवं उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (राजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन) नियमावली, 2010 के अंतर्गत आपके नैदानिक स्थापन को अनन्तिम / रिन्यु-रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन निर्गत किया जा रहा है:-

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (Clinical Establishment Act, 2010) के विशिष्ट उपबन्धों के साथ-साथ नैदानिक स्थापन द्वारा देश में अन्य लागू अधिनियम और नियमावली की सूचनाओं और सांख्यिकी का पालन एवं अनुरक्षण करना तथा न्यूनतम मानक (Minimum Standerd's) www.clinicalestablishments.gov.in की वेबसाईट से डाउनलोग करते हुए उनके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

1. नैदानिक स्थापन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की 12 मास की वैधता अवधि समाप्त हाने के 01 माह पूर्व उपबन्धित शुल्क सहित स्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु ऑन लाईन आवेदन करेगा। यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन समय-सीमा के भीतर नही किया जाता है तो नियत नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि एवं ` 100/- प्रतिदिन शास्ति की दर से बिलम्ब शुल्क के साथ अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने पर नैदानिक स्थापन के प्रबन्धक या स्वामी द्वारा प्रारूप 6 पर द्वितीय प्रति के लिए, निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. नैदानिक स्थापनों द्वारा उपचारित किये गये मरीजों का चिकित्सा अभिलेख और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सांख्यिकी सूचना की त्रेमासिक रिर्पोट जिला प्राधिकरण को आवश्यक रूप से भेजी जायेगी।
4. अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के अन्तर्गत चिकित्सा अभिलेखों का अनुरक्षण और सूचना की प्रकृति जो प्रदान करनी है, प्रारूप-9 (उपरोक्त बैबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है) के अनुसार रखा जाना आवश्यक होगा।
5. समस्त अभिलेखों और सांख्यिकी एवं तत्समय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के अन्तर्गत कोई अन्य संगत अधिनियम जो लागू हो, की प्रतियां न्यूनतम तीन वर्ष हेतु रखना अनिवार्य होगा एवं आपदा या महामारी की सूचनाएं एवं साख्यिकी को जमा करने के लिए उत्तदायी होंगें।
6. यदि बिना रजिस्ट्रीकरण के नैदानिक स्थापन चल रहा हो, या न्यूनतम उपबन्धित मानकों का पालन नही कर रहा हो या सन्देह हो कि नैदानिक स्थापन का उपयोग रजिस्ट्रीकरण के उद्दश्यों से भिन्न कार्यो में किया जा रहा है या अधिनियम और नियमावली के किन्ही प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा हो, अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत किसी युक्तियुक्त समय पर प्राधिकरण द्वारा नैदानिक स्थापन में प्रवेश कर, तलाशी ली जा सकती है, प्राधिकरण किसी भी अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज, उपकरणों, वस्तुएं एवं नियुक्त कर्मचारियों की पेशेवर शैक्षिक योग्यता जो भी आवश्यक समझी जायें, का निरीक्षण कर सकेगा, नैदानिक स्थापन चलाने वाले सभी व्यक्ति निरीक्षण दल को पूर्ण एवं सही सूचना देने के लिए बाध्य होंगे।
7. चिकित्सक एवं अन्य कार्यरत कार्मिकों के उनके सम्बन्धित पैरा मेडिकल काउंसल में पंजीकरण के प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल में जमा किया जाना होगा।
8. योगा एवं नेचुरोपैथी- अधिनियम के अध्याय-1 की धारा-1 की उपधारा-2(ज) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान पद्धति के नैदानिक स्थापन का अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना है, योगा एवं नेचुरोपैथी के नैदानिक स्थापन को पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणिकता के उपरान्त ही निर्गत किये जायेगें।
9. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड मे पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स, 2016 का पूर्णत्य पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न- पंजीकरण प्रमाण पत्र

(भागीरथी जोशी)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
नैनीताल।

Scanned with OKEN Scanner

Provisional registration No:**0506600621**

सत्यमेव जयते
Government of India

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

District Registering Authority
NAINITAL

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that *SMT USHA BAHUGUNA ALPHA H* located at *JAGDAMBA NAGAR* owned by *YATINDARA MOHAN BAGUHUNA* has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a *Hospital, Day Care Centre, Pathology,Haematology,Biochemistry,Collection Centre, Xray Centre,ECG Centre,CTScan Centre,NO* under *Allophathy* System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

CHIEF MEDICAL OFFICER
NAINITAL

DRA: Nainital
Designation of the Issuing Authority

Place: Nainital
Date of Issue: 06/11/2023

*Terms and Conditions of Registration**

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

**Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.*

Scanned with OKEN Scanner